(वाद संख्या–1524/19)

23.02.2021

परिवादी, राजेश दास, अनुपस्थित हैं।

संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, शस्त्र अधिनियम की धाराओं, 25(1-B)a/26/27/35 से संबंधित सिमुलतला थाना कांड संख्या–60/17, दिनांक–13.12.2017 व भा0द0वि0 की धारा–392 के अन्तर्गत संस्थित सिमुलतला थाना कांड संख्या–37/17, दिनांक–31.08.2017 में जमुई स्थित न्यायालय से मुक्ति आदेश प्राप्त होने के बाद भी अभियुक्त राजेश दास (परिवादी) को कारा से मुक्त नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में अवकाश रक्षित पदाधिकारी, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना के माध्यम से प्राप्त अधीक्षक, मंडल कारा, जमुई के प्रतिवेदनानुसार परिवादी, राजेश दास, दिनांक–14.12.2017 को सिमुलतला थाना कांड संख्या–60/17 के अन्तर्गत न्यायालय के आदेश से पहली बार कारा में प्रवेश पाये थे। बाद में उसे सिमुलतला थाना कांड संख्या–37/17 के अन्तर्गत भी न्यायालय द्वारा रिमांड पर लिया गया तथा उपरोक्त दोनों कांडों में क्रमशः दिनांक–31.03.2018 व दिनांक–01.09.2018 को संबंधित न्यायालय से मंडल कारा, जमुई को मुक्ति आदेश प्राप्त हुआ। लेकिन इसी बीच मंडल कारा, जमुई को Cr.Case No.IPC 76/S/2018/A के अन्तर्गत परिवादी, राजेश दास व सिमुलतला वाले उपरोक्त दोनों कांडों के उसके सह–अभियुक्त, ईश्वरी दास, को मपुसा (गोवा) के एक न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी के न्यायालय में उपस्थापित करने हेतु प्रोडक्शन वारंट प्राप्त हुआ। उक्त प्रोडक्शन आर्डर के अनुपालन में दिनांक–30.09.2019 को परिवादी, राजेश दास, व उसके साथी ईश्वरी दास, को मपुसा स्थित न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में उपस्थापन कराने हेतु स्थानान्तरित किया गया तथा वर्त्तमान में परिवादी, राजेश दास Central Jail, Colvale,Goa में कारा में संसीमित है जिस तथ्य का सत्यापन Colvale जेल के जेलर द्वारा भी राज्य आयोग को किया गया है।

अब, जबकि, परिवादी, राजेश दास एक न्यायिक प्रक्रिया के अनुसरण में कारा में संसीमित है तथा उस मामले में संबंधित न्यायालय से

कोई मुक्ति आदेश निर्गत नहीं किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में परिवादी के अपने अवैध अभिरक्षा के संबंध में लगाये गये आरोप की सत्यता प्रतीत नहीं होती है।

उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य आयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

आज पारित आदेश से अधीक्षक, मंडल कारा, जमुई व Jailor, Central Jail, Colvale, Goa को इस अनुरोध के साथ भेजी जाय कि उनके द्वारा जेल मैन्युअल के अन्तर्गत कारा में संसीमित अभियुक्त, राजेश दास, पिता–श्री गिरधारी दास, ग्राम–चैरया, पोस्ट–टेलवा बाजार, थाना–सिमुलतला, जिला–जमुई को भी आज पारित आदेश के संबंध में अवगत करा दी जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक